संख्या-ए-32015/1/2021-केहिप्रसं/ 687

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग,
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

7वां तल, प.दी.अंत्योदय भवन,
7[Th] Floor, Pt.D.Antyodaya Bhawan,
सी जी ओ परिसर, लोदी रोड,
C.G.O. Complex, Lodi Road,
नई दिल्ली/ New Delhi-110003

दिनांक :- ~~21~~.03.2022

28 MAR 202

कार्यालय आदेश

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 अक्तूबर, 2019 एवं दिनांक 19.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-35034/3/2015-स्था(घ) एवं संख्या-35034/3/2015-स्था(घ), में दिए गए दिशा निर्देशों/ विहित शर्तों को ध्यान में रखते हुए, के अनुपालन में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने विभागीय संवीक्षा समिति की सिफारिश पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीनस्थ हिंदी शिक्षण योजना में कार्यरत निम्नलिखित हिंदी प्राध्यापकों को जिन्होंने अपने ग्रेड में 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है या करेंगे, को इस पद के वेतनमान पीबी-2 रु. 9300-34800 के साथ दिए जाने वाले ग्रेड पे रु. 4800/- से नियमानुसार **वेतनमान लेवल-12 रु. 78,800-2,09,200 के साथ अगला ग्रेड पे रु. 7600**/- में निम्नानुसार उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से तृतीय वित्तीय अपग्रेडेशन दिए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

क्र.सं.	नाम(सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी)	वर्तमान कैडर में सीधी भर्ती/नियमित नियुक्ति की तारीख	तारीख जब से तृतीय वित्तीय अपग्रेडेशन दिया जाना है ।
1	2	3	4
1.	बाहुबली भोसगे	17.02.1992	17.02.2022
2.	जे. अमुदवल्ली	25.03.1992	25.03.2022
3.	डॉ. जे पी सिंह	24.02.1992(अप.)	25.02.2022
4.	प्रवीणा संतोष	30.03.1992	30.03.2022
5.	नवीन कुमार नैथानी	30.03.1992	30.03.2022
6.	ई. राधाकृष्णन	19.03.1992	19.03.2022
7.	पी वी राधिका	08.04.1992	08.04.2022
8.	श्रीराम सिंह	29.05.1992(अप.)	30.05.2022
9.	गार्गी गाडगिल	09.06.1992	09.06.2022
10.	आशा सुंदरेशन	21.05.1992	21.05.2022
11	वी चित्रा	16.04.1992	16.04.2022
12.	तरूण शेखावत	28.08.1992(अप.)	29.08.2022

जारी....2/..

13.	एस. श्रीलता	06.07.1992	06.07.2022
14.	कविंताजलि महांति	24.06.1992	24.06.2022
15.	एम. हरिगणेश	21.05.1992	21.05.2022
16.	पूनम शर्मा	15.06.1992	15.06.2022
17	एस. सुब्बालक्ष्मी	11.06.1992	11.06.2022
18.	जयश्री पी. एस.	16.04.1992	16.04.2022
19.	अनिता हरिगणेश	10.07.1992	10.07.2022

2. यह वित्तीय अपग्रेडेशन संबंधित अधिकारी के लिए पूर्णतः वैयक्तिक आधार पर होगा और इससे उनकी वरिष्ठता पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस वित्तीय अपग्रेडेशन से किसी वरिष्ठ अधिकारी को इस आधार पर कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा कि उनसे कनिष्ठ अधिकारी उस ग्रेड में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के कारण वेतन बैंड या उच्चतर ग्रेड वेतन ले रहा है ।

3. उपर्युक्त हिंदी प्राध्यापकों का वेतन मूलभूत नियमावली के नियम 22(1) (ए) (1) के उपबंधों के अधीन निर्धारित किया जाएगा । मूलभूत नियमावली के नियम 22(1) (ए) (1) में दी गई व्यवस्था के आधार पर वेतन निर्धारण के लिए उक्त अधिकारी इस कार्यालय आदेश के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना विकल्प दे सकते हैं । निर्धारित समय-सीमा के बाद किसी प्रकार का कोई विकल्प मान्य नहीं होगा ।

4. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत स्वीकार्य वित्तीय लाभ अंतिम होगा और नियमित पदोन्नति के समय मिलने वाला वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिलेगा, यदि संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत समान ग्रेड वेतन प्रदान किया गया हो । तथापि वास्तविक पदोन्नति यदि किसी ऐसे पद पर हुई है, जिसका ग्रेड वेतन संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्चतर है तो उस समय कोई वेतन का निर्धारण नहीं किया जाएगा और केवल ग्रेड वेतन के अंतर का लाभ प्रदान किया जाएगा ।

5. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की पुष्टि लेखा परीक्षा(आडिट) द्वारा की जाएगी तथा आवश्यक वसूली, यदि कोई भी हुई, तो वह लेखा-परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में की जाएगी ।

6. समस्त उपनिदेशकों को निदेश दिए जाते हैं कि वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मौजूदा दिशा निर्देशों/ विहित शर्तो को ध्यान में रखते हुए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत मंजूरी प्रदान करने संबंधी आवश्यक आदेश जारी करें।

भवदीय,

(राम निवास)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः-

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी(सचिवालय), गृह मंत्रालय, सी-1 हटमेंट्स, डलहौजी रोड, नई दिल्ली ।
2. क्षेत्रीय वेतन तथा लेखा अधिकारी(सीआईएसएफ), गृह मंत्रालय, चेन्नै ।
3. संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, लोकनायक भवन, नई दिल्ली को उनके दिनांक 14 मार्च, 2022 के पत्र सं.14034/22/2021-राजभाषा(प्रशिक्षण) के संदर्भ में ।

जारी ... 3/ ---

4. उपनिदेशक(मुख्यालय), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
5. उप निदेशक(पूर्व/पश्चिम/मध्योत्तर/दक्षिण/पूर्वोत्तर), हिंदी शिक्षण योजना, कोलकाता / मुंबई / नई दिल्ली/ चेन्नै / गुवाहाटी ।
6. सहायक निदेशक, अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक(टंकण/आशुलिपि), कें.हि.प्र.संस्थान, नई दिल्ली को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. सभी संबंधित हिंदी प्राध्यापक
8. एक-एक प्रति संबंधित हिंदी प्राध्यापकों की व्यक्तिगत फाइल/ सेवापंजी हेतु ।
9. गार्ड फाईल, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।